अवर सचिव
UNDER SECRETARY

उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX : 23018124

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/85/2019-20

04 फरवरी, 2020

सेवा में

डॉ. देवेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव/केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी,
झारखंड सरकार,
प्रोजेक्ट बिल्डिंग, धुव्र, प्रथम तल,
रांची-834004

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु

महोदय,

श्री मो. जमील अख्तर निवासी मार्फत मो. नौशाद जनरल स्टोर, ग्राम व पोस्ट महुदा जिला धनबाद, झारखंड का 24.01.2020 का पत्र इस सचिवालय में 30.01.2020 को प्राप्त हुआ है जिसके साथ इन्होंने पांच-पांच रूपये के दो पो.आ. सं. 74 सी 554644 व 74 सी 554645 प्रमाण पत्र संलग्न कर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत हजारीबाग के अधिवक्ता द्वारा इन्हें मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किये जाने की शिकायत व इनकी शिकायत पर की गई कार्रवाई की पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया है। चूंकि इनके पत्र की विषय-वस्तु झारखंड सरकार से संबंधित है अत: इनका आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आपको हस्तांतरित किया जा रहा है। कृपया अधोहस्तक्षारी को सूचित करते हुए आवेदक को मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

यदि यह विषय-वस्तु आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हो तो कृपया इसे उस सूचना अधिकारी को हस्तांतरित करने का कष्ट करें जिसके यह निकट से संबंधित हो।

धन्यवाद,

भवदीय,

(हुरबी शकील)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
hurbi.shakeel@nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री मो. जमील अख्तर निवासी मार्फत मो. नौशाद जनरल स्टोर, ग्राम व पोस्ट महुदा जिला धनबाद, झारखंड - कृपया अधिक जानकारी हेतु उपरोक्त जनसूचना अधिकारी के कार्यालय से संपर्क करें।

हुरबी शकील

(हुरबी शकील)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
hurbi.shakeel@nic.in

O/C
Narain Singh
12/2/20

नोट:- मेरे आवेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए पुनः मेरी प्रार्थना स्वीकार की जाए।

मो० जमील अख्तर द्वारा T.S- 10/2011..... .... complain (वादी)

Verse's

असगा असमी .... प्रतिवादी

प्रेषित:- दिनांक -24/01/2020

सेवा में,

श्रीमान केंद्रीय उपराष्ट्रपति भारत सरकार

नयी दिल्ली

विषय : - श्रीमान केंद्रीय उपराष्ट्रपति के कोषंग (प्रकोष्ठ) एवं अपने सहयोग के माध्यम द्वारा फ्री (नि:शुल्क) सीनियर ईमानदार अधिवक्ता अनुदान हेतु : -

महाशय,

सविनय निवेदन यह है कि मैं एक सीधा-सादा गरीब बेसहारा एवं बेरोजगार व्यक्ति हूँ, मैं अधिवक्ता का फीस एवं इत्यादि देने में असमर्थ। मैं जुडीशियल एवं ईमानदारी और कानून पर भरोसा तथा आदर करता हूँ। मुझे कोई लौ की जानकारी नहीं रहने पर मुझे इस उक्त मुकदमा हजारीबाग के अधिवकता द्वारा मुझे मो० शकील अनवर एवं सहयोगियों ने साँठ-गांठ करके आर्थिक, मानसिक तथा शारीरिक रूप से प्रताड़ित करवाया जा रहा है एवं न्यायालय को भी गुमराह किया जा रहा है। मैंने इस उक्त मुकदमा के संदर्भ में दिनांक 23/02/2016 एवं 31/03/2017 को आवेदन के साथ कुछ दस्तावेजों की छायाप्रती को संलग्न कर श्रीमान को अवगत कराया था, जिस पर श्रीमान ने अपने आदेश द्वारा जो मदद दिये उसका मैं सदा आभारी रहूँगा। श्रीमान द्वारा मुझे इस उक्त T.S-10/11 मुकदमा को हजारीबाघ न्यायालय में लड़ने के लिए कोषांग तथा अपने सहयोग प्रकोष्ठ के माध्यम से फ्री (नि:शुल्क) एक ईमानदार अधिवक्ता को शघ्रती-शीघ्र सहयोग करने की कृपा की जाए।

श्रीमान से आग्रह है कि जो मो० शकिल अनवर के इशारों पर हजारीबाग के अधिवक्ता मुझे इस उक्त मुकदमा के बारे में न बताते है एवं उलझा दे रहे है तथा इस उक्त मुकदमा मे इंसाफ एवं न्याय के लिए काफी कोशो दूर कर दिया गया है इस लिए पुनः मेरे भेजे हुए आवेदन की प्रार्थना स्वीकार कर मुझे आप अपने विशेष अधिकार द्वारा सहायता एवं अनुदान शीघ्रती-शीघ्र देने की कृपा करे, तथा मुझे पत्रांक तथा मोबाइल फोन के माध्यम से अधिनियम धारा 6 (3) के अंतर्गत ससमय के अंदर शीघ्र अवगत (हसतानंतरण) करने की कृपा की जाए। क्यूंकि अगला तारीख हजारीबाघ न्यायालय में 03/02/2020 है। श्रीमान के इस दयामय कार्य के लिए सदा आभारी रहूँगा।

अनुलग्नक : -

1. आवेदन letter 77, 07/01/2016, 23/02/2016, 13/03/2017, Intire order की छायाप्रती एवं 5/- रु० का कोर्ट फी स्टम्प तथा 10/- रु० का पोस्टल ऑर्डर स० (74C-554645+74C-554644) दिनांक 23/01/2020 का प्रोषित

श्रीमान को भी जानकारी हेतु प्रेषित

1. श्रीमान प्रधान मंत्री भारत सरकार नयी दिल्ली

आपका विश्वासी

मो. जमील अख्तर

मो० जमील अख्तर

मो०:- 9135563599

मार्फत मो० नौशाद जेनरल स्टोर

ग्राम+पो - महुदा,

जिला - धनबाद (झारखंड)

पिन - 828305